बराबर कला एवं विकास परिषद, जहानाबाद।

(आम सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बराबर कला एवं सांस्कृतिक विकास परिषद, जहानाबाद के बराबर स्थित जलपान गृह की बंदोवस्ती वर्ष–2019–20 के लिए अस्थायी बन्दोवस्ती निम्नांकित तिथि एवं समय को जिला योजना कार्यालय, जहानाबाद में आमंत्रित की जाती है। जो निम्न प्रकार हैः–

प्रथम निविदा		द्वितीय (प्रथम निविदा रद्द होने की स्थिति में)		तृतीय (द्वितीय निविदा रद्द होने की स्थिति में)	
निविदा आमंत्रण की तिथि (01.00 बजें अप0)	निस्तारण की तिथि (04.00 बजें सायं)	निविदा आमंत्रण की तिथि (01.00 बजें अप0)	निस्तारण की तिथि (04.00 बजें सायं)	निविदा आमंत्रण की तिथि (01.00 बजें अप0)	निस्तारण की तिथि (04.00 बजें सायं)
25/05/19	25/05/19	31/05/19	31/05/19	04/06/19	04/06/19

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. बंदोबस्ती कि इस तकनीकी निविदा में भाग लेने वाले आवेदकों को पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करेंगे।
2. बंदोबस्तदार का पैन कार्ड, आधार कार्ड नं0 की प्रति संलग्न करेंगे।
3. मेला बंदोबस्ती के कार्य करने का तीन वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
4. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का मूल प्रमाण पत्र

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. बन्दोबस्ती की सुरक्षित एक मुश्त राशि मो0–280370/–(दो लाख अस्सी हजार तीन सौ सत्तर) रू0 मात्र निविदा में भाग लेने के समय जमा करना होगा। बंदोबस्ती में सफल निविदादाता को शेष राशि संबंधित वित्तीय वर्ष में समय–सीमा के अंदर जमा करना होगा। निविदा में भाग लेने के दौरान जमा किये गये उल्लेखित राशि निविदा में समायोजित कर ली जायेगी।
2. वित्तीय निविदा की दर को मुहरबंद लिफाफा में जमा करना होगा, जो कि अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के समक्ष खोली जायेगी।

(ग) अन्य शर्ते :–

1. सफल डॉक वक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा की राशि का समायोजन बन्दोवस्ती की राशि में एक मुश्त कर ली जाएगी तथा शेष व्यक्तियों को सुरक्षित जमा की राशि वापस कर दी जाएगी।
2. बंदोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बराबर कला एवं सांस्कृतिक विकास परिषद, जहानाबाद के सभी नियमों का पालन करना होगा। जलपान गृह का उपयोग किसी भी तरह के गैरकानूनी एवं प्रतिबंधित व्यवसायों के लिए नहीं करेंगे और जलपान गृह का उपयोग उसी कार्य के लिए करेंगे जिसके लिए उन्हें जलपान गृह की बंदोवस्ती किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जलपान गृह को किसी भी दूसरे व्यक्ति को किरायें पर नहीं देंगे।
3. जलपान गृह हेतु निर्मित भवन को किसी भी प्रकार की क्षति बंदोवस्तधारी नहीं पहुँचायेंगे एवं सुरक्षा तथा रख–रखाव की जबावदेही बंदोवस्तधारी पर ही होगी। जलपान गृह का प्रतिवर्ष रंग–रोगन कराना होगा। कचड़े को बराबर परिसर से दूर उत्सर्जित करना होगा।
4. बंदोवस्तधारी जलपान गृह हेतु निर्मित भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं करायेंगे और न ही उसकी संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे।